अपील सूचना अधिकार संख्या 79/2019 (RCMS 2019/00225) अनवान् राधेश्याम गोयल पुत्र भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर(पो.ऑ. नं. 46एफ/864553) <u>बनाम</u> उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं लोक सूचना अधिकारी, श्रीगंगानगर

<u>10.02.2020</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवालोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर पर शास्ति अधिरोपित करने, प्रार्थी को हर्जाना दिलवाने एवं बिन्दुवार सूचना दिलवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निम्न सूचनाएं चाही गई थी :

1. आपके पत्रांक 2825 दिनांक 10.07.19 सम्बन्धित सूचना जो प्रबन्ध निदेशक, श्रीगंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 श्रीगंगानगर से प्राप्त कर उपलब्ध करवानी है।
2. उपरोक्त पत्रांक के साथ श्री सुभाष गोयल तत्कालीन बैकिंग सहायक के विरूद्ध 16 सीसीए का आरोप पत्रों के बाबत कार्यवाही करने हेतु लिखा गया था, इसमें जो जो कार्यवाही की गयी है उसकी सूचना प्रमाणित प्रतिया।
3. उपरोक्त पत्र पर बैंक के जिस कर्मकार द्वारा पत्रावली पर कार्यवाही की जा रही है उसका नाम व पद की सूचना।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपखण्ड श्रीगंगानगर, श्रीगंगनगर ने अपने पत्रांक एसडीएम/गंगा/पीए/2019/37 दिनांक 17.01.20220 से अप्रार्थी को निम्न सूचना दी है :

क्र. स.	चाही गई सूचना	सूचना
1.	आपके पत्रांक 2825 दिनांक 10.07.19 सम्बन्धित सूचना जो प्रबन्ध निदेशक, श्रीगंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 श्रीगंगानगर से प्राप्त कर उपलब्ध करवानी है।	इस कार्यालय के द्वारा पत्रांक 2825 दिनांक 10.07.19 द्वारा प्रबन्ध निदेशक श्रीगंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक को लिखा गया था। बैंक द्वारा कार्यवाही की सूचना न देने पर इस कार्यालय के पत्रांक 3190 दिनांक 18.12.19 द्वारा स्मरण पत्र लिखा गया है। सूचना प्राप्त होने पर सूचना उपलब्ध करवा दी जायेगी।
2.	उपरोक्त पत्रांक के साथ श्री सुभाष गोयल तत्कालीन बैकिंक सहायक के विरूद्ध 16 सीसीए का आरोप पत्रों के बाबत कार्यवाही करने हेतु लिखा गया था, इसमें जो जो कार्यवाही की गयी है उसकी सूचना प्रमाणित प्रतिया।	कार्यवाही की सूचना प्रबन्ध निदेशक श्रीगंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक, श्रीगंगानगर से प्राप्त नही हुई है। अतः यह सूचना सीधे ही सम्बन्धित बैंक से प्राप्त की जा सकती है।
3.	उपरोक्त पत्र पर बैंक के जिस कर्मकार द्वारा पत्रावली पर कार्यवाही की जा रही है उसका नाम व पद की सूचना।	उक्त सूचना इस कार्यालय के कार्मिक से सम्बन्धित नही है वरन दी केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 श्रीगंगानगर के कार्मिक से सम्बन्धित है । अतः यू सूचना सीधे सम्बन्धित बैंक से प्राप्त की जा सकती है।

-sd-
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

दिनांक 20.01.2020 के आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने केन्द्रीय सहकारी बैंक, श्रीगंगानगर को अपने पत्रांक एसडीएम/गंगा/पीए/2019/42 दिनांक 20.12.2020 से निम्न प्रकार सूचित किया गया है :

उपरोक्त विषय एवं प्रसंगार्न्तबत लेख है कि प्रासंगिक पत्र प्रसंगान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा श्री राधेश्याम गोयल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर का शिकायत प्रार्थना पत्र जिसमें शिकायत कर्ता द्वारा श्री सुभाष गोयल तत्कालीन बैंकिग सहायक द्वारा न्यायालय (कख) की अदालत ने शपथ पत्र पर दिनांक 26.04.2010 को जो ब्यान दिये थे, उसके विपरित शपथ पर उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर की अदालत में विपरित ब्यान दिया था।

इस कार्यालय के पत्रांक 2825 दिनांक 10.07.19 एवं 3203 दिनांक 18.12.19 द्वारा प्रकरण में विचाराधीन पत्रावली भिजवा कर कार्मिक के विरूद्ध कार्यावाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। चूंकि प्रकरण संवेदनशील एवं मिथ्या साक्ष्य से सम्बन्धित है इसलिए आपको जांच रिपोर्ट के निर्णय के अनुसार कृत्य में अनुशासनहीनता, उदासीनता, लापरवाही व कर्तव्यहीनता के आधार पर 16 सीसीए के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही करते हुए पालना रिपोर्ट तीन दिवस में भिजवाने हेतु लिखा गया था।

परन्तु आप द्वारा इस संवेदनशील प्रकरण में आदिनांक तक कार्मिक के विरूद्ध अद्योहस्ताक्षरकर्ता के आदेशों की कार्यवाही नही की है। अतः इस प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही कर इस कार्यालय को अविलम्ब अवगत करावें।

-sd-
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अप्रार्थी राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने उक्त पत्र दिनांक 20.01.2020 को सूचनाओं हेतु लिखा गया है। अप्रार्थी लोक सूचना अधिकारी उक्त केन्द्रीय सहकारी बैंक, श्रीगंगानगर से सूचनाएं प्राप्त होने पर प्रार्थी/अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार देय सूचनाएं उपलब्ध करवायें। इसलिए अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगांगनगर को पालनार्थ **एवं** अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर